बिक्री और निपटान आदि के लिए कोई नीति बनाने का है जिससे कि किसानों को अपने गन्ने का इन उद्योगों से उचित मूल्य मिल सके और सल्फर खण्डसारी की काला बाजारी और तस्करी भी रोकी जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत कारण क्या हैं ?

**कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) :** (क) और (ख). खण्डसारी चीनी के उत्पादकों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्यों को निर्धारित करने के लिए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में पहले से ही व्यवस्था है जिसके द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त किन्हीं भी अनुरोधों पर विचार किया जाता है । जहां तक सल्फीटेशन और गैर-सल्फीटेशन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित खंडसारी के मूल्य-निर्धारित करने और इसकी बिक्री और निपटान पर नियंत्रण लगाने का सम्बन्ध है, ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि खंडसारी यूनिट असंगठित क्षेत्र में आते हैं और अधिकांशतः दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं ।

## 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पुर्निर्माण के लिए कार्यक्रम

2491. **श्री राम लाल राही :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए कोई नीति अथवा कार्यक्रम तैयार किया है और वह उसे लागू करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) :** (क) जी हां ।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और भूमि सुधारों के कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है । इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

**समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम**

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 में आरम्भ किया गया था । प्रारम्भ में, लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास जैसे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए गए 3000 खण्डों में से 2000 खण्ड चुने गए थे । यह निर्णय भी लिया गया था कि इस कार्यक्रम का विस्तार विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत न लाए गए क्षत्रों में प्रति वर्ष 300 खण्डों की दर से एक चरण-बद्ध तरीके से किया जाए । तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि कार्यक्रम का विस्तार 2 अक्तूबर, 1980 से देश के सभी खण्डों में कर दिया जाए । इस प्रकार, देश के सभी 5011 खण्डों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया गया है ।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित वर्गों, जिनमें छोटे किसान, सीमान्त किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर शामिल हैं, को पारिवारिक सर्वेक्षणों पर आधारित सूक्ष्म स्तरीय खण्ड आयोजना के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है । प्रति वर्ष प्रत्येक खण्ड में औसतन 600

परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है । इस प्रकार, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 150 लाख परिवारों को कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है । छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 1500 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें से 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा । यह धनराशि मुख्यतया उपदानों के रूप में है । इसके अलावा, 3,000 करोड़ रुपये संस्थागत ऋण के रूप में जुटाये जाएंगे । इस प्रकार, छठी योजना अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है । प्रत्येक खण्ड को छठी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में 5 लाख रुपये वार्षिक, दूसरे वर्ष में 6 लाख रुपये वार्षिक तथा अन्तिम तीन वर्षों में 8 लाख रुपये वार्षिक का आवंटन किया जाना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्गों से सम्बन्धित छोटे किसानों को 25 प्रतिशत की दर से, सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों को 33⅓ प्रतिशत और जनजाति के भागीदारों को 50 प्रतिशत की दर से उपदान सुलभ किया जाता है । यह प्रावधान किया गया है कि कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित होने चाहिएं । दिए गए उपदानों तथा जुटाए गए ऋणों का 30 प्रतिशत भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभभोगियों को मिलना चाहिए ।

3. कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने तथा भौतिक और सही ढंग में इसके कार्यान्वयन को तेज करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, राज्य, जिला और खण्ड स्तरों पर प्रशासनिक तन्त्र को मजबूत बनाने तथा कार्यक्रम के प्रभाव का निकट से प्रवोधन करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं ।

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है, ने अक्तूबर, 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान लिया था । इस कार्यक्रम को 31-3-1981 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता था । अब यह छठी पंचवर्षीय योजना का एक नियमित भाग बन गया है और अब इसे केन्द्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर व्यय वहन करने के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है । इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य की खोज में लगे लोगों को रोजगार के पूरक अवसर उपलब्ध कराना है । इसका उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना भी है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास होगा तथा निर्धन ग्रामीणों के आय स्तर में क्रमिक रूप से वृद्धि होगी ।

2. चालू वर्ष के 360.00 करोड़ रुपये के आवंटन, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य अंश भी शामिल है, के मुकाबले में 1982-83 के लिए आवंटन बढ़ा कर 380 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें राज्य का अंश भी शामिल है । कुछ केन्द्रशासित क्षेत्रों, जो अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर रहे थे, को भी 1-4-1982 से इसके अन्तर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष 300 मिलियन से 400 मिलियन श्रम दिनों की रोजगार संभाव्यता सृजित करने का प्रस्ताव

है । यह भी अनिवार्य बनाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों पर लगाए गए मजदूरों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा । इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसके कार्यान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सौंप दी गई है ।

**भूमि सुधार :**

नये 20-सूत्री कार्यक्रम में अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन और भूमि अभिलेखों के संकलन से सम्बन्धित निर्देश का कार्यान्वयन राज्य सरकारों, जिनके पास प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है, द्वारा किया जाएगा । तथापि , भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के इस पहलू के सही कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए अनुरोध किया है । भारत सरकार की राय में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण में अवरोध डालने वाला एक-मात्र अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक यह है कि न्यायालयों में बड़ी मात्रा में मुकदमे लम्बित पड़े हुए हैं । राज्य सरकारों से लंबित पड़े हुए मामलों की पुनरीक्षा करने और उनके शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है । उन्हें यह भी कहा गया है कि वें कानून में उन कमियों का पता लगायें जिनके कारण मुकदमे होते हैं और उनके संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें । जहां तक भूमि अभिलेखों को संकलित करने का सम्बन्ध है, उन्हें उन क्षत्रों का पता लगाने के लिए सलाह दी गई है, जहां भूमि अभिलेखों को तैयार करने की गति में तेजी लाना अथवा भूमि अभिलेखों का कार्य शुरू करना अनिवार्य है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आवश्यक कदम तत्काल उठाये जाएं ।

**Production vis-a-vis Price of Food-grain**

2492. SHRI B. V. DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that food prices are expected to be stable in 1982;

(b) if so, to what extent the food production is expected to be achieved in 1982;

(c) whether it will be comparatively higher in 1982;

(d) if so, whether the prospects of good rains have also further improved this prospect;

(e) whether Food Corporation of India has enough grains to meet any situation that will arise during 1982; and

(f) if so, what were the total foodgrains in the possession of Food Corporation of India up till February, 1982?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The prospects of food production during 1981-82 are good. If the rainfall and weather conditions during the rest of the current crop season are favourable, our foodgrains production is likely to exceed the previous record level of 131.9 million tonnes and may even be 134 million tonnes.

(e) Yes, Sir.

(f) The stocks of foodgrains with the Food Corporation of India on